



१५०

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(15)नविवि / II / 2020

जयपुर, दिनांक: 25 JUN 2021

आदेश

राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966 के नियम 24(2) के प्रावधानानुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 19.03.2021 को आयोजित बैठक की अभिशंषा के अनुसार नगर नियोजन सेवा के निम्नांकित नगर नियोजन सहायक को, सहायक नगर नियोजक के पद पर वरिष्ठता—सह—योग्यता के आधार पर पे—मैट्रिक्स लेवल संख्या—14 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :—

क्र.सं.	पदोन्नत राजसेवक का नाम	चयन वर्ष	रिक्ति तिथि
1.	श्री सूरज नारायण कुमावत	2020–21	01.04.2020

पदोन्नति उपरान्त श्री सूरज नारायण कुमावत को सहायक नगर नियोजक, कार्यालय मुख्य नगर नियोजक के पद पर एतद्वारा पदस्थापित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—४१—
(त्रिमुखनपति)
संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- श्री सूरज नारायण कुमावत द्वारा— मुख्य नगर नियोजक।
- रक्षित पत्रावली।

३२
संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय